99-A

संख्या 606 /V-2013-01(एन0एल0)/08टी0सी0

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3— अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग—1

देहरादूनः दिनांक 6 सितम्बर, 2013

विषयः नजूल नीति—2009 के प्रस्तर —16 एवं 17(क) के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—437/V—आ0—2009—01 (एन0एल0)/08 दिनाँक 01.03.2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण हेतु नजूल नीति 2009 निर्गत की गई है।

2— जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 900/25—नजूल/2012 दिनांक 23.7.2012 के माध्यम से शासन के संज्ञान में आया है कि नजूल नीति के प्रस्तर—16 एवं 17(क) को क्रियान्वित करनें में कुछ व्यवहारिक कठिनाईया आ रही हैं। प्रकरण पर समयक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं, कि नजूल नीति 2009 के प्रस्तर 16 एवं 17(क) को निम्नानुसार पढ़ा जाएः—

(i) प्रस्तर—17(क) में प्रयुक्त शब्द 'अवैध'/अनाधिकृत के स्थान पर मात्र 'अवैध' पढा जाय तथा इसके अंश/अनाधिकृत को निरस्त समझा जाय।

(ii) प्रस्तर 17(क) की दरें प्रस्तर 4(ज) से आच्छादित होने वाले अवैध कब्जेदारों के संबंध में लागू की जायेंगी तथा प्रस्तर 16 की दरें प्रस्तर 4(ज) से आच्छादित होने वाले मामलों को छोड़ कर अन्य विशुद्ध रूप से अनाधिकृत कब्जे के मामलों में लागू की जायेंगी।

(iii) प्रस्तर 16 का कदापि यह आशय नहीं है कि 'दण्डात्मक परिवर्तन शुल्क' अदा करने के फलस्वरूप क्षेत्र की महायोजना ,यदि कोई हो, में निर्दिष्ट भू—उपयोग भी स्वतः परिवर्तित हो जायेगा। वरन् नजूल नीति में निहित प्राविधनों के अनुसार ही फ्रीहोल्ड की कार्यवाही की जायेगी और फ्रीहोल्ड होने के उपरान्त यदि भू—उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता हो तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्ति को भू—उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित प्रकिया के तहत आवेदन करना होगा।

3– उक्त के अतिरिक्त नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01.3.2009 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में अन्तनिर्हित व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी।

4– कृपया नजूल नीति के अन्तर्गत भूमि फ्रीहोल्ड के लम्बित प्रकरणों में उत्तराखण्ड नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 01.03.2009 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

संख्या 6060/V-2013-01(एन0एल0)/08टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड।
3– समस्त स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव

D:\promila kotar\letter2013